क्रम संख्या–64 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 ई0

श्रावण 14, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 205/XXXVI(3)/2022/48(1)/2020

देहरादून, 05 अगस्त, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन मा0 राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 30 मई, 2022 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 09, वर्षः 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 09, सन् 2022)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (अधिनियम संख्या 14 वर्ष, 1947) में उत्तराखण्ड़ राज्य के परिप्रेक्षय में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

नई धारा 36ग का अन्तःस्थापन

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 36ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी अर्थात्–

"लोक हित में राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति

36ग. जहां राज्य सरकार का किसी नये औद्योगिक स्थापन या नये उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों के नये वर्ग या उपक्रमों के नये वर्ग के बारे में यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नये स्थापन या नये उपक्रम या स्थापनों के नये वर्ग या उपक्रमों के नये वर्ग को, इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों से, जबसे ऐसा नया औद्योगिक स्थापन या नया उपक्रम या स्थापनों का नया वर्ग या उपक्रमों का नया वर्ग स्थापित हुआ है, को शर्त सहित या बिना शर्त के एक हजार दिनों तक की अवधि के लिये छूट दे सकेगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति "नये औद्योगिक स्थापन या नये उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों के नये वर्ग या उपक्रमों के नये वर्ग" से ऐसा औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों का वर्ग या उपक्रम अभिप्रेत है जिसकी स्थापना इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक हजार दिनों की अवधि के भीतर हुई है।"

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

1– 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अन्तर्गत विभिन्न श्रम कानूनों में समय–समय पर किये जा रहे सुधारों की पृष्ठभूमि में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन प्रस्तावित है। यह सुधार उद्योगों को राहत प्रदान करेगा। इसी कारण से उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ0 हरक सिंह रावत
श्रम मंत्री।